

 30 Apr 2020Social media
Share this article 

रायपुर : राज्य सरकार का बड़ा निर्णय : 30 जून तक वर्तमान बाजार मूल्य गाइडलाइन दर ही रहेंगे प्रभावशील

रायपुर. 30

छत्तीसगढ़ सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए जमीनों के वर्तमान बाजार मूल्य गाइडलाइन दर की प्रभावशीलता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। इस तिथि तक 20 के लिए प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन दर और उसके उपबंध ही प्रभावी रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश कर दिए गए हैं।

क्रमांक-71

TAGS:

 Print this article

